न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2020 (उदयपुर डिक्री)

मनीष नलवाया पिता लहरसिंह जी नलवाया, निवासी 302, पारस अपार्टमेन्ट, बसेरा कॉलोनी, बेदला रोड़, उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 04.03.2020 प्र. सं. 72/19

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———/———

निर्णय **दिनांक 12–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुखेर के हाल आराजी नंबर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर भूमि वादी द्वारा विभिन्न खातेदारों से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान जमाबन्दी में इसका रकबा मात्र 1.1900 हैक्टर ही अंकित किया गया अर्थात 0.1800 हैक्टर कम अंकित किया गया, जो अवैध एवं शून्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा क्रय की गयी साबिक आराजियात के हाल नंबर 398 एवं 399 बने हैं जिनका रकबा क्रमशः 1.1900 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:52 IST
Reason: SelfAttested

1.1700 कुल 2.8900 हैक्टर बना है, जो वादी के साबिक रकबा के मुकाबले 2.8795 से 105 वर्गमीटर अधिक है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–03–2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20–03–2020 से 28–06–2020 तक लॉक डाउन होने से उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रवितादी द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद अपीलान्ट का वाद खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपने कथन के समर्थन में न्याय नजीरें ए.आई.आर. 1999 सुप्रिम कोर्ट पेज 1441, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 954, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एवं आर.आर.टी. 2018–19 (Supp.) पेज 505 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान राकजीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट के खाते में कोई भूमि कम नहीं हुई है, बल्कि 105 वर्गमीटर अधिक भूमि उसके खाते में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी द्वारा क्रय शुदा आराजियात के हाल आराजी नंबर 398 व 399 बने है, जबकि वादी ने अपने वाद में सिर्फ आराजी नंबर 398 का अंकन किया है, आराजी नंबर 399 बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:52 IST
Reason: SelfAttested

हाथों से नहीं आया है। वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, उचित नहीं है। क्योंकि वादी का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, जिसे वादी साबित कराने में असफल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपने विस्तृत विवेचन में यह माना है कि वादी के खाते में 105 वर्गमीटर भूमि अधिक गयी है जो अपीलान्ट के खाते से कम की जाना हम उचित समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2020 यथावत रखी जाती है तथा अपीलान्ट के नाम जो 105 वर्गमीटर अधिक रकबा दर्ज हुआ है उसे अपीलान्ट के खाते से कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:52 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मनीष नलवाया पिता लहरसिंह जी, नि0 302, पारस अपार्टमेन्ट, बसेरा कॉलोनी, बेदला रोड़, उदयपुर। बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बड़गांव** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....04**.....माह.....**03**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**.....माह.....**04**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र चौधरी** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2020 यथावत रखी जाती है तथा अपीलान्ट के नाम जो 105 वर्गमीटर अधिक रकबा दर्ज हुआ है उसे अपीलान्ट के खाते से कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.12**.....माह.....**.04.**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:52 IST
Reason: SelfAttested